



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 747 राँची, शुक्रवार

24 अग्रहायण, 1945 (श०)

15 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-38/2018 का०- 5313--श्री रविन्द्र कुमार सिंह सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-618/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-230, दिनांक 26.03.2018 द्वारा झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2010, अधिसूचना सं०-1749, दिनांक 27.03.2010 की कंडिका-4(क) (iii) की अनदेखी करने तथा कनीय अनुसेवक को लाभ पहुँचाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों को विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-4398, दिनांक 14.06.2018 एवं 05 स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किये जाने के पश्चात् उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक-248, दिनांक 18.03.2023 से आरोप पत्र प्राप्त है ।

मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके सेवानिवृत्ति के चार वर्ष 07 माह के पश्चात् उपायुक्त गिरिडीह द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है ।

अतः श्री सिंह के विरुद्ध उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त आरोप पत्र को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत कालबाधित मानते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रविन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
